संख्या-74/2020/4147/71-2-20-के0जी0एम0यू0-64/2017

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 02 दिसम्बर, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में फायर स्टेयर के स्थान पर फायर रैम्प के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक 7624/योजना अनु/2020, दिनांक 28.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में फायर स्टेयर के स्थान पर फायर रैम्प के निर्माण प्रायोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रू0 221.235 लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासन के पत्रांक-25/2020/327/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-64/2017, दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से शासनादेश संख्या-74/2018/1262/71-2-2018 के0जी0एम0यू0-64/2017, दिनांक 29.03.2018 `द्वारा फायर स्केप स्टेयर के निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 86.48 लाख की प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निरस्त करते हुए फायर स्केप स्टेयर के स्थान पर फायर रैम्प निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 442.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 86.48 लाख प्रश्नगत प्रायोजना में समायोजित करते हुए धनराशि रू0 134.755 लाख अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किए गए है। इस प्रकार उक्त प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 221.235 लाख अवमुक्त किए जा चुके हैं।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में फायर स्केप स्टेयर के स्थान पर फायर रैम्प निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 88.494 लाख (अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 72.914 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से धनराशि रू0 15.58 लाख) अवमुक्त किए जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।
2) कुलपति/कुलसचिव द्वारा प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) रोकने के लिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना/कार्यक्रम में न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, शासनादेश दिनांक 07.04.2020, दिनांक 11.04.2020 एवं दिनांक 29.09.2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय। उक्त के अतिँ रिक्त प्रायोजना के संबंध में समस्त सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6) कुलपतिँ /कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृतिँ /अनापत्ति ँ प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।
7) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
8) प्रश् नगत प्रायोजना यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा को पूर्ण कर लिये जाएंगे।
9) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
10) कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 221.235 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 195.00 लाख का उपभोग संतोषजनक रूप से कर लिया गया है।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 72.914 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 15.58 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2020/बी-1-156/दस-2020-231/2020, दिनांक 29.09.2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-74/2020/4147(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रबन्ध निदेशक/ परियोजना प्रबन्धक यूनिट-10, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि टेड, लखनऊ ।
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।